स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

- गर्भवती महिलाओं की पहली जांच 12 सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करें: कलेक्टर

नवभारत न्यूज

रतलाम। कलेक्टर मिशा सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, टीबी नियंत्रण, सिकल सेल, मलेरिया, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि गर्भवती महिलाओं की पहली स्वास्थ्य जांच गर्भधारण के 12 सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग मैदानी स्तर पर समन्वय बनाकर गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराएं।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि गर्भवती महिलाओं की अनुमानित प्रसव तिथि के आधार पर लाइन लिस्ट तैयार की जाए तथा समय पर उन्हें बर्थ वेटिंग रूम में भर्ती कराया जाए। साथ ही कम उपलब्धि वाले चिकित्सा अधिकारियों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में यह भी तय किया गया कि जिला स्वास्थ्य समिति और जिला पोषण समिति की बैठकों में संयुक्त रूप से आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं, ताकि योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग हो सके।

कलेक्टर ने सेक्टर मेडिकल ऑफिसरों को निर्देशित किया कि वे मैदानी कार्यकर्ताओं के कार्यों की प्रति सप्ताह समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग कर पॉजिटिव मरीजों को समय पर उपचार एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत वैशाली जैन, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष सिंह, सिविल सर्जन डॉ. एम.एस. सागर, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. वर्षा कुरील सहित स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

लगेज केरियर लगी स्लीपर बसों पर कार्रवाई

- हादसों के बढ़ते खतरे के बीच परिवहन विभाग की सख्ती
- लगेज केरियर लगे 5 यात्री वाहनों पर चालानी कार्रवाई, 41,950 जुर्माना वसूला

नवभारत न्यूज

रतलाम। जिले में नियम विरुद्ध संचालित यात्री वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाते हुए स्लीपर कोच बसों की जांच की। इस दौरान छत पर लगेज केरियर लगाकर चल रही बसों पर विशेष फोकस किया गया। जांच में कई सुरक्षा खामियां सामने आने के बाद 5 यात्री वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 41,950 का समन शुल्क वसूला गया। जिला परिवहन अधिकारी जगदीश बिल्लौरे ने बताया कि अभियान के दौरान कुल 24 स्लीपर कोच बसों की जांच की गई। जिन वाहनों में मोटरयान अधिनियम के नियमों का उल्लंघन पाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।

आपातकालीन दरवाजे और खिड़कियों की स्थिति: जैसे बिंदुओं को भी देखा गया। अधिकारियों ने पाया कि कई बसों में इमरजेंसी एग्जिट के पास अतिरिक्त सीटें लगा दी जाती हैं, जिससे दुर्घटना के समय यात्रियों के बाहर निकलने में दिक्कत हो सकती है।

आखिर परेशानी क्या है?

विशेषज्ञों के अनुसार स्लीपर कोच बसों की छत पर लगेज केरियर लगाने से वाहन का संतुलन प्रभावित होता है। अधिक वजन होने पर तेज रफ्तार या मोड़ के दौरान बस के पलटने का खतरा बढ़ जाता है। कई बार बस ऑपरेटर क्षमता से अधिक सामान भी ऊपर रख देते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका और बढ़ जाती है।

इसके अलावा कई निजी बस संचालक बिना अनुमति वाहन की बॉडी में बदलाव कर लेते हैं। लगेज केरियर लगाना भी कई मामलों में अनुमोदित डिजाइन के विपरीत माना जाता है। परिवहन विभाग का कहना है कि ऐसे बदलाव सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हैं।

जांच में किन कमियों पर फोकस?

संयुक्त चेकिंग के दौरान अधिकारियों ने केवल लगेज केरियर ही नहीं, बल्कि अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी जांच की। इनमें– वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र, वैध परमिट, पीयूसी प्रमाण पत्र, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस आदि।

विभाग ने ये निर्देश दिए?

परिवहन विभाग ने बस संचालकों और चालकों को निर्देश दिए हैं कि वे वाहनों से लगेज केरियर हटाकर परिवहन कार्यालय से सत्यापन करवाएं। साथ ही सभी जरूरी दस्तावेज वैध अवस्था में रखने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियम विरुद्ध संचालित वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग एवं पुलिस की संयुक्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

एक नजर में

जनसुनवाई में 151 आवेदनों पर हुई सुनवाई

रतलाम। कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की गई। कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह एवं सीईओ जिला पंचायत सुश्री वैशाली जैन ने आवेदकों को सुना एवं आवेदकों से आवेदन प्राप्त किए। आज जनसुनवाई में 151 आवेदन प्राप्त हुए। निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही उपस्थित विभागीय अधिकारियों से निराकरण करवाया गया एवं शेष आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया। जनसुनवाई में रमेश पिता रामकिशन निवासी मोती नगर रतलाम ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास बनवाने हेतु आवास योजना की दूसरी किस्त देने के संबंध में आवेदन दिया। कार्यवाही हेतु आयुक्त नगर निगम को निर्देशित किया गया। आवेदिका मंजु निवासी दीनदयाल नगर रतलाम ने बताया कि वह किराए के मकान में रहती है। उनके पति का स्वर्गवास हो गया है तथा पुत्र भी शारीरिक रूप से अपंग है। आवास के लिए भूमि का पट्टा एवं देने के संबंध में आवेदन दिया। कार्यवाही हेतु आयुक्त नगर निगम को निर्देशित किया गया। आवेदक बंटी पिता गोपाल मकवाना निवासी ग्राम ईसरथुनी ने कृषि भूमि की भू-पुस्तिका में पिता का नाम चढवाने के लिए आवेदन दिया। कार्यवाही हेतु तहसीलदार रतलाम को निर्देशित किया गया। आवेदिका नसरिन पति मुजफ्फर निवासी नयापुरा हाट की चौकी ने आवेदन दिया कि उनके परिवार के समस्त सदस्य राशन मित्र पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे है, आवेदक ने परिवार के सभी सदस्यों के नाम प्रदर्शित करवाने की कार्यवाही हेतु आवेदन दिया। कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया। आवेदिका कौशल्या पति किशोर निवासी वार्ड न. 21 रतलाम ने बताया कि दुर्घटना में उनका हाथ कट गया, परिवार का पालन पोषण करने वाला कोई नही है। परिवार के पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता हेतु आवेदन दिया। कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया।

कोठारी मार्केट में अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों का न्यायालय में प्रकरण खारिज

रतलाम। नगर निगम स्वामित्व के कोठारी मार्केट की दुकान नम्बर 49 के पीछे व साईड की गली पर दुकान 49 किरायेदार बैबी मैथयूस द्वारा अतिक्रमण कर 2 दुकाने निर्मित कर संगीता आईस कैंडी व चाय सुट्टा बार को किराये पर दिये जाने के संबंध में नगर निगम द्वारा उक्त दुकानों को सील करने पर संबंधित द्वारा न्यायालय पर वाद दायर करने पर न्यायालय द्वारा दायर प्रकरण खारिज किया। नगर निगम राजस्व विभाग द्वारा नगर निगम स्वामित्व के कोठारी मार्केट की दुकान नम्बर 49 के पीछे व साईड की गली पर दुकान 49 किरायेदार बैबी मैथयूस द्वारा अतिक्रमण कर 2 दुकाने संगीता आईस कैंडी व चाय सुट्टा बार को किराये पर दिये जाने पर विभाग द्वारा उक्त दोनो दुकानों को सील कर दुकान नम्बर 49 को सील से मुक्त रखा गया था। अतिक्रमण कर निर्मित की गई दोनो दुकाने सील करने पर बैबी मैथयूस द्वारा न्यायालय में वाद दायर किया गया था। न्यायालय द्वारा उक्त भूमि को निगम स्वामित्व की बताते हुए प्रकरण खारिज किया गया।

अब चौथे इंजन सरकार से विकास को मिलेगी नई रफ्तार

- रतलाम विकास प्राधिकरण के नए संचालक मंडल का सनातन धर्म सभा ने किया सम्मान

नवभारत न्यूज

रतलाम। गौशाला रोड स्थित श्री राम गोपाल मंदिर परिसर में मंगलवार को आयोजित आत्मीय सम्मान समारोह में श्री सनातन धर्म सभा एवं महारूद्र यज्ञ समिति द्वारा रतलाम विकास प्राधिकरण के नवगठित संचालक मंडल का अभिनंदन किया गया। संस्था से जुड़े कई सदस्यों के प्राधिकरण में शामिल होने पर हर्ष व्यक्त करते हुए उनका सम्मान अंगवस्त्र, दुपट्टा एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत संस्था अध्यक्ष अनिल झालानी के स्वागत उद्बोधन से हुई। उन्होंने रतलाम विकास प्राधिकरण के इतिहास, उद्देश्यों और पूर्व विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि नया संचालक मंडल जमीन से जुड़ा हुआ है और आमजन की अपेक्षाओं को समझते हुए शहर के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार के बाद अब विकास प्राधिकरण के रूप में 'चौथा इंजन' जुड़ने से शहर के विकास को नई गति मिलेगी।

प्राधिकरण अध्यक्ष मनोहर पोरवाल ने शहर की भावी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर और सर्वहारा वर्ग के लिए कम लागत वाले अफॉर्डेबल हाउस उपलब्ध कराना प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरण का उद्देश्य केवल भवन निर्माण नहीं, बल्कि नागरिक सुविधाओं से युक्त बेहतर जीवन उपलब्ध कराना है।

उपाध्यक्ष प्रवीण सोनी ने भावुक संबोधन में कहा कि यह अभिनंदन नहीं बल्कि आशीर्वाद समारोह है, क्योंकि जिन वरिष्ठजनों ने उनका सम्मान किया है, उन्हीं से उन्होंने समाजसेवा और सार्वजनिक जीवन की सीख प्राप्त की है। वहीं उपाध्यक्ष गोविंद काकानी ने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में मिले सहयोग के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए शहर के विकास के लिए निरंतर कार्य करने का विश्वास दिलाया।

समारोह में संचालक मंडल के सदस्य राजेंद्र सिंह गोयल, श्रीमती राखी व्यास, धीरज व्यास, राजेंद्र मौर्य और श्रीमती किरण महावर का भी सम्मान किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक एवं सनातन धर्म सभा के पूर्व अध्यक्ष कोमल सिंह राठौर ने की। इस अवसर पर कन्हैयालाल मौर्य, डॉ. राजेंद्र शर्मा, नवनीत सोनी, पंडित रामचंद्र शर्मा, बंसीलाल शर्मा, गोपाल जवेरी, लालचंद टांक, रजनी व्यास, विशाल शर्मा, विजय सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन बृजनंदन मेहता ने किया तथा आभार प्रदर्शन नवनीत सोनी ने माना।

जिले के 9 नगरीय निकायों में जल सुनवाई, 41 शिकायतों का मौके पर निराकरण

नवभारत न्यूज

रतलाम। कलेक्टर मिशा सिंह के निर्देशानुसार जिले में 'स्वच्छ जल' अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। अभियान के तहत मंगलवार को जिले के सभी 9 नगरीय निकायों में 'जल सुनवाई' आयोजित की गई, जिसमें नागरिकों की पेयजल संबंधी समस्याएं सुनी गईं।

पीओ डूडा अरुण पाठक के मार्गदर्शन में आयोजित इस विशेष अभियान के दौरान कुल 42 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 41 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण कर संबंधित नागरिकों को राहत प्रदान की गई। जल सुनवाई में मुख्य रूप से पेयजल आपूर्ति में बाधा, पाइपलाइन लीकेज, कम दबाव से पानी आने, गंदे पानी की शिकायत और नियमित जल वितरण से जुड़े मामले सामने आए। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कई शिकायतों का तत्काल समाधान कराया, जबकि शेष मामलों के लिए संबंधित निकायों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। प्रशासन का कहना है कि 'स्वच्छ जल' अभियान का उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ एवं नियमित पेयजल उपलब्ध कराना तथा समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करना है। इसके लिए नगरीय निकायों में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे जल संरक्षण और स्वच्छ जल व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

दुकान निर्माण को लेकर विवाद, मारपीट

रतलाम/आलोट। आलोट थाना क्षेत्र के अरनिया गांव में दुकान निर्माण की बात को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार फरियादी कमल सिंह पिता भगवान सिंह आंजना (40) निवासी अरनिया ने शिकायत दर्ज कराई कि 11 मई 2026 को शाम करीब 4 बजे उसकी दुकान के सामने आरोपी गोरधन पिता धुलजी सेन निवासी पिपलिया मारु हाल मुकाम अरनिया ने दुकान नहीं बनाने की बात को लेकर विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि आरोपी ने फरियादी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद फरियादी की शिकायत पर आलोट थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 115(2), 296(बी), 351(2) बीएनएस सहित पूर्व भादवि की धारा 323, 294 और 506 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पंचायत के सामने विवाद, मारपीट

रतलाम। आईए थाना पुलिस ने ग्राम जुलवानिया पंचायत के सामने मारपीट और धमकी देने के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। फरियादी रमाकांत पिता रामनिवास व्यास (44) निवासी अलकापुरी अंबेमाता चौक, रतलाम ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 10 मई 2026 को दोपहर करीब 2:30 बजे ग्राम जुलवानिया पंचायत के सामने आरोपी श्यामलाल निनामा निवासी जुलवानिया एवं उसके एक अन्य साथी ने उसके साथ विवाद किया। आरोप है कि दोनों आरोपियों ने फरियादी को गालियां दीं, मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद फरियादी की शिकायत पर 11 मई को मामला दर्ज किया गया।

घर पर चद्दर डालने की बात को लेकर बढ़ा विवाद

- जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप, पुलिस जांच में जुटी

रतलाम/आलोट। आलोट थाना क्षेत्र के ग्राम किशनगढ़ में घर पर चद्दर डालने की बात को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार फरियादी अमरसिंह पिता नरवरसिंह सोंधिया राजपूत (40) निवासी किशनगढ़ ने शिकायत दर्ज कराई कि 11 मई 2026 को शाम करीब 6 बजे आरोपी दरबारसिंह पिता नरवरसिंह सोंधिया राजपूत निवासी किशनगढ़ ने विवाद करते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपी ने फरियादी के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। घटना फरियादी के घर के सामने हुई। शिकायत के आधार पर आलोट पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 115(2), 296(बी), 351(2) बीएनएस तथा पूर्व भादवि की धारा 323, 294 और 506 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। मामले की जांच उनि आर.सी. खड़िया द्वारा की जा रही है।

जानकारी नहीं मिली तो विधायक ने खोला मोर्चा, नगर परिषद के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान

- नामांतरण मामलों की जानकारी नहीं देने पर विधायक का आंदोलन
- 14 मई से नगर परिषद सैलाना में धरने पर बैठेंगे विधायक

नवभारत न्यूज

रतलाम/सैलाना। सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने नगर परिषद सैलाना के खिलाफ बड़ा आंदोलन घोषित करते हुए 14 मई 2026 से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। विधायक ने नगर परिषद प्रशासन पर जनहित से जुड़े नामांतरण प्रकरणों की जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया है।

विधायक डोडियार का कहना है कि यह मामला केवल सूचना उपलब्ध कराने का नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधि के संवैधानिक 'विशेषाधिकार' और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद द्वारा जानबूझकर जानकारी रोकी जा रही है, जिससे आम नागरिकों की समस्याएं बढ़ रही हैं। जानकारी के अनुसार विधायक कमलेश्वर डोडियार ने 28 अप्रैल 2026 को पत्र के माध्यम से मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद सैलाना से नामांतरण प्रकरणों की विस्तृत जानकारी मांगी थी। विधायक ने पत्र में उल्लेख किया था कि विधानसभा क्षेत्र के नागरिक लगातार शिकायत कर रहे हैं कि नामांतरण मामलों में अनावश्यक देरी हो रही है। विधायक ने नगर परिषद से पूछा था कि 26 मार्च 2026 तक कुल कितने नामांतरण प्रकरण प्राप्त हुए, उनमें से कितने स्वीकृत और कितने अस्वीकृत किए गए। इसके अलावा स्वीकृत एवं अस्वीकृत प्रकरणों की अलग-अलग सूची, आवेदकों के नाम, संपत्ति का विवरण, खसरा नंबर, वार्ड नंबर, स्वीकृति दिनांक और बैठक की तारीख सहित विस्तृत जानकारी भी मांगी गई थी। इसी के विरोध में विधायक ने 14 मई से नगर परिषद सैलाना कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना देने की घोषणा की है। धरने की सूचना एसडीएम एवं थाना प्रभारी सैलाना को भी भेज दी गई है। विधायक ने धरने के दौरान सुरक्षा और आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।

विधायक डोडियार थाने के बाहर धरने पर बैठे

रतलाम/सैलाना। सैलाना क्षेत्र में अवैध शराब परिवहन को लेकर सोमवार को बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाक्रम सामने आया। सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने अवैध शराब से भरी बोलेरो वाहन का पीछा कर पुलिस को सूचना दी और बाद में कार्रवाई को अधूरा बताते हुए समर्थकों के साथ सैलाना थाने पर धरने पर बैठ गए। विधायक ने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी एवं थाना प्रभारी को पत्र लिखकर कार्रवाई की जानकारी देते हुए 'छिपाई गई शराब' बरामद करने और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विधायक डोडियार का आरोप है कि सोमवार सुबह करीब 4:30 बजे उन्हें कोटड़ा क्षेत्र में बिना नंबर प्लेट और काले कांच लगी बोलेरो से अवैध शराब परिवहन की सूचना मिली थी। इसके बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ वाहन का पीछा किया। आरोप है कि वाहन चालक अदवानिया से बागरियों की खेड़ी मार्ग होते हुए सैलाना नगर क्षेत्र में शराब छिपाकर भागने का प्रयास कर रहा था। बाद में बायपास क्षेत्र में वाहन को पकड़कर पुलिस को सूचना दी गई। विधायक के अनुसार पुलिस ने बोलेरो वाहन क्रमांक एमपी 43जेडसी 0845 से केवल चार पेटी शराब जब्त कर कार्रवाई पूरी मान ली, जबकि वाहन में इससे कहीं अधिक मात्रा में शराब होने की आशंका है।

एक नजर में

होली हनुमान तीर्थ जाते समय राज्यपाल का सामाजिक संगठनों ने किया स्वागत

जावरा का स्नेह मुझे हर बार यहां खींच लाता हैं : गहलोत

इन संस्थाओं और वरिष्ठजनों ने किया

इस अवसर पर गीतांजलि गौशाला नीलकंठ धाम घटवास के संस्थापक संस्कार ऋषि गुरुदेव दिनेश व्यास, प्रजापति ब्रह्माकुमारी जावरा इकाई की साध्वी बहनें, सिक्ख समाज गुरुद्वारा प्रमुख ज्ञानी हंसराज सिंह, जितेंद्र गहलोत, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य केकेसिंह कालूखेड़ा, कानसिंह चौहान, धरमचन्द्र चपडोद, चंद्रप्रकाश ओस्तवाल, देवेंद्र शर्मा, हरिराम शाह, सर्राफ प्रकाश कांठेड़, प्रदीप चौधरी नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि यूसुफ कड़पा, उपाध्यक्ष सुशील कोचट्टा, विजय कोठारी, अमित मोदी, प्रिंस ओस्तवाल, सुनील भावसार, डॉ प्रकाश उपाध्याय, डॉ अतुल मंडवारिया, डॉ घनश्याम पाटीदार, अभय कोठारी, विनोद चोरसिया, निलेश सेठिया, दिनेश सुराना, सीडी लालवानी, शेखर नाहर, शेखर धारीवाल, किशोर शाकल्य, संजय रूनवाल, यशवंतसिह सोलंकी, अरुण श्यामसुखा, जितेन्द्रसिंह चंद्रावत, सचिन वीनायका के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों ने राज्यपाल का स्वागत-सम्मान किया। संचालन हरिराम शाह ने किया तथा आभार डॉ .अभिदीप शाकल्य ने माना।

नवभारत न्यूज

जावरा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का होली हनुमानजी कलश आरोहण वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान जावरा आगमन पर आत्मीय स्वागत किया। राज्यपाल अल्प समय के लिए अपने पारिवारिक मित्र वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. दिलीप शाकल्य के यहा पहुंचे, जहां विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं व्यापारी संगठनों द्वारा उनका भव्य अभिनंदन किया गया।

अपने संबोधन में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने जावरा से अपने पुराने संबंधों को याद करते हुए कहा कि स्व. डॉ. श्रीधर शाकल्य उनके लिए पिता तुल्य थे और उनका परिवार से 40 वर्षों पुराना आत्मीय रिश्ता रहा है। उन्होंने कहा कि अब वही स्नेह और अपनापन डॉ. शाकल्य से भी बना हुआ है। राज्यपाल ने कहा कि जब उन्होंने आलोट विधानसभा से चुनाव लड़ा था, उस दौरान एसडीएम कार्यालय जावरा ही लगता था, तभी जावरा के कई परिवारों से उनका परिचय हुआ था, जो आज भी आत्मीय रिश्ते में बदला हुआ है। आज भी होली हनुमान तीर्थ जाते समय जावरा वासियों के स्नेह ने मुझे यहां रुकने पर मजबूर कर दिया।